रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 1992/आश्विन 29, 1914

No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1992/ASVINA 29, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1992

फा. सं. 4/11/91—ई. पी. ओ. आई. —विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत :

सरकार ने विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया है जिन्हें एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :

विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1.1 ये मार्गदर्शी सिद्धान्त विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (जिन्हें बाद में विदेशी कंपनियां कहा जाएगा।) में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश पर लागू होंगे। ये नई प्रवर्तित विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश तथा विद्यमान विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा [illegible] प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए लागू होंगे।

1.2 ऐसी विदेशी कंपनी, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश किये जाने का प्रस्ताव है, को औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक अथवा सेवा क्रियाकलाप या होटल में या पर्यटन उद्योग में लगाया जा सकता है।

1.3 ये मार्गदर्शी सिद्धान्त विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा पोर्ट फोलियो निवेश निक्षेप पर लागू नहीं होंगे। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग बीमा, आपसी निधियां वित्तीय और और इसी प्रकार की सेवाओं में लगी विदेशी कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश पर भी लागू नहीं होंगे ऐसे मामलों पर उचित प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रयोजन के लिए,

(क) "प्रत्यक्ष निवेश" का अभिप्राय उस कम्पनी में दीर्घावधि फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में भारतीय पक्ष द्वारा निवेश होगा। इक्विटी की रकम के अतिरिक्त ऐसा दीर्घावधि सहित विदेशी कंपनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व तथा तकनीकी जानकारी, पूंजीगत वस्तुओं, संघटकों, कच्ची सामग्री आदि तथा विदेशी कंपनी के [illegible] की आपूर्ति के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।

(ख) "मेजबान देश" का तात्पर्य उस देश से होगा जिसमें प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी स्थापित, पंजीकृत अथवा निगमित होती है।

(ग) "भारतीय पक्ष" का तात्पर्य भारत के कानूनों के अनुसार निगमित गैर सरकारी अथवा सरकारी लिमिटेड कंपनी होगा। जब एक से अधिक भारतीय निकाय निगम विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश करती है, तो सभी निकाय निगम मिलकर भारतीय पक्ष बनाते हैं।

(घ) "संयुक्त उद्यम" का तात्पर्य होगा मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार स्थापित पंजीकृत अथवा निगमित. विदेशी कंपनी जिसमें भारतीय पक्ष में प्रत्यक्ष निवेश किया हो चाहे इस निवेश में शेयरधारिता अधिक हो अथवा कम।

(ङ) "पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी" का तात्पर्य होगा मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार स्थापित पंजीकृत अथवा निगमित ऐसी विदेशी कंम्पनी जिसकी समस्त इक्विटी शेयर पूंजी भारतीय पक्ष के स्वामित्व में हो।

3. भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ वाणिज्य मंत्रालय (विदेश निवेश प्रभाग) भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110001 को प्रस्तुत किए जाएं।

4.1 श्रेणी "क" —स्वतः अनुमोदन मामले

विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर स्वतः अनुमोदन के लिए तभी पात्र होगा जब निम्नलिखित दो मानदंड पूरे किए जाएं:

मानदण्ड—1

भारतीय पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष निवेश का कुल मूल्य 2 (दो) मिलियन अमेरिकन डालर से अधिक न हों, जिसमें भारतीय पक्ष द्वारा नकद अंशदान 500,000 अमेरीकी डालर से अधिक न हो। प्रत्यक्ष निवेश का शेष अंश पूर्णतः पूंजीकरण के जरिए, या आंशिक रूप में निम्नलिखित में पूरा किया जाए:—

(क) विदेशी कंपनी को सप्लाई किए गए भारत में निर्मित संयंत्र मशीनरी, उपस्कर और संघटक;

(ख) भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी को निर्यात किए गए माल की आय;

(ग) तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंध संबंधी या अन्य सेवाएं देने के के लिए विदेशी कंपनी से प्राप्त शुल्क, रायल्टी कमीशन या अन्य हकदारियां।

मानदण्ड—2

भारतीय पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के पूर्णतया नकद अंशदान होने के मामले में नकद अंशदान 500.000 अमरीकी डालर से अधिक न हो

4.1.1 भारतीय पक्ष को उसी विदेशी कंपनी के संबंध में स्वतः अनुमोदन की यह सुविधा तीन वित्तीय वर्ष के ब्लाक में, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल है जिसमें निवेश किया गया है, केवल एक बार उपलब्ध होगी

4.2 श्रेणी "1" प्रत्यक्ष निवेश के अन्य मामले

प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय में अंतर-मंत्रालयी समिति गुणवगुण के आधार पर विचार करेगी और आवेदनपत्र प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर निर्णय दे देगी उपर्युक्त श्रेणी "क" में बताएं गए निवेश के स्त्रोतों के अलावा, श्रेणी "ख" के तहत प्रत्यक्ष निवेश में निम्नलिखित स्त्रोतों को भी शामिल किया जाए,

(क) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अध्याधीन बाह्य ऋण

(ख) "अवरुद्ध" निधियों से भुगतान निवेशी निधियां अवरुद्ध तभी होती हैं जब मेजबान देश में निर्यात से आय या निवेशों से लाभ कुछ ऐसे कारणों से भारतीय पक्ष को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं जो भारतीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर होते हैं

(ग) निवेश का कोई अन्य ऐसे स्त्रोत जिसे भारत सरकार की अनुमति मिल जाए।

4.3 श्रेणी "ख" के तहत आवेदनपत्र पर विचार करते समय अन्तर मंत्रालयी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को पूरी तरह ध्यान में रखा है,

(क) भारतीय और विदेशी पक्षों की वित्तीय स्थिति, साख और व्यवसाय चलाने का पिछला रिकार्ड;

(ख) भारतीय पक्ष का निर्यात में अनुभव और पिछला रिकार्ड तथा इसकी निर्यातोन्मुखता

(ग) प्रस्तावित निवेश की प्रत्यक्षतः अर्थक्षमता

(घ) भारतीय पक्ष के स्रोत निवल मूल्य और कार्य को मात्रा के संदर्भ में प्रस्तावित निवेश की मात्रा और विदेश स्थित उद्यम का आकार; और

(ङ) विदेशी शुद्ध लाभ, द्विपक्षीय व्यापार सृजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत में उपलब्ध नहीं होने वाले कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों के लिए पहुंच तथा इसी तरह की अन्य बातों को देखते हुए देश को लाभ।

4.4 उपर्युक्त "क" तथा "ख" दोनों श्रेणियों के तहत भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अपने अंशदान के लिए पुरानी या मरम्मत की गई स्वदेशी मशीनरी सप्लाई की जा सकती है।

5. प्रत्यक्ष निवेश मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि जहां तक संभव हो संयुक्त उद्यम में स्थानीय पक्षों, स्थानीय विकास बैंकों और स्थानीय वित्तीय संस्थाओं से सहयोग किया जाए जब तक विरोध के लिए सुदृढ़ कारण न हो, विदेशी संवर्धकों या भागीदारों के रूप में अलग-अलग व्यक्तियों के सहयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है.

6.1 जिस संयुक्त उद्यम में भारतीय पक्ष का प्रशासन को इक्विटी शेयरधारिता है, उनके संबंध में भारतीय पक्ष वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उद्यम द्वारा लिए गए गए निम्नलिखित निर्णयों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और ये ब्यौरे मेजबान देश को स्थानीय विधियों के अनुसार संयुक्त उद्यम के शेयर धारियों/प्रोत्साहकों निदेश द्वारा दिये गये अनुमोदन के 30 दिन के भीतर भेजेगा;

(i) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के लिए मूलतः अनुमोदित कार्यकलाप से भिन्न कोई कार्यकलाप आरम्भ करना;

(ii) किसी अन्य कम्पनी की इक्विटी पूंजी में भागीदार होना;

(iii) एक विदेशी गौण कम्पनी के रूप में किसी सहायक कम्पनी अथवा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को बढ़ावा देना ;

(iv) अपने प्राधिकृत अथवा जारी, शेयर पूंजी ढांचे या उसके शेयर धारित पैटर्न में परिवर्तन करना।

6.2 जिस संयुक्त उद्यम के मामले में भारतीय पक्ष की अधिकांश इक्विटी शेयर धारिता है अथवा किसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के मामले में भारतीय पक्ष भारत सरकार को पहले सूचित किये बिना विदेशी कम्पनी द्वारा लिए जा रहे निम्नलिखित विनिश्चयों पर सहमति दे सकते हैं :

(i) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के लिए मूलत : अनुमोदित कार्यकलाप से भिन्न कोई कार्यकलाप आरम्भ करना;

(ii) किसी अन्य कम्पनी की इक्विटी पूंजी में भागीदार होना;

(iii) एक विदेशी गौण कम्पनी के रूप में किसी सहायक कम्पनी अथवा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को बढ़ावा देना ;

(iv) अपने प्राधिकृत अथवा जारी शेयर पूंजी ढांचे या उसके शेयर धारिता पैटर्न में परिवर्तन करना।

बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों,

(क) भारतीय पक्ष ने विदेशी कम्पनी से प्राप्त होने वाली सभी हकदारियां स्वदेश भेज दी हों, इनमें लाभांश, फीस तथा रायल्टियां भी शामिल हैं और इसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया गया हो।

(ख) भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कम्पनी को किए गए निर्यातों के संबंध में विदेशी कम्पनी की ओर 180 दिन से पुरानी उसकी कोई राशि बकाया न हो;

(ग) भारतीय पक्ष ने भारत से नकद मंगाने की कोई नई मांग न की हो ; और

(घ) भारतीय पक्ष के मूलत : स्थापित संयुक्त उद्यम में अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में इक्विटी शेयर धारिता की प्रतिशतता कम नहीं की गई हो जब तक कि मेजबान देश की विधियों के अनुसार ऐसा करना जरूरी न हो।

भारतीय पक्ष वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा लिए गए निर्णयों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। उक्त ब्यौरे मेजबान देश की स्थानीय विधियों के अनुसार शेयर धारियों /प्रोत्साहकों/निदेशकों द्वारा उक्त निर्णयों का अनुमोदन किये जाने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे और साथ में उपयुक्त शर्तों को पूरा करने संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 भारतीय पक्ष द्वारा संयुक्त उद्यम से अधिकारिक आधार पर जारी इक्विटी शेयरों की अपनी हकदारियों के संबंध में अंशदान के मामले में अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा जारी अतिरिक्त शेयर पूंजी में किसी भारतीय पक्ष द्वारा अंशदान किये जाने के मामले में, ऐसे अंशदान के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इस प्रकार के अंशदान के लिए अनुमति उपयुक्त पैराग्राफ 4.1 या 4.2 जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार दी जा सकती है।

7.1 व्यापारिक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां स्थापित करने के मामलों में, मेजबान देश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली कम्पनी द्वारा कार्यकलाप/उत्पाद/राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में संचालित किए जाने वाले प्रचलित एजेन्सी प्रबन्धों की भारतीय पक्ष द्वारा जब भी व्यवहार्य हो समीक्षा की जाएगी।

7.2 भारतीय पक्ष द्वारा किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्पनी को अपने इक्विटी निवेश के संबंध में किए गये निर्यात के लिए उसे कोई ऐजन्सी कमीशन नहीं देना होगा।

इसी प्रकार किसी व्यापारिक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्पनी को अगर भारतीय पक्ष उसे सीधी बिक्री करता है तब भी कोई ऐजन्सी कमीशन देय नहीं होगा।

7.3 किसी संयुक्त उद्यम या पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में सीधे निवेश करने वाला कोई भी भारतीय पक्ष भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संयुक्त उद्यम या पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा लिए गए उधार अथवा ऋण आदि के संबंध में कोई गारंटी अथवा कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगा अथवा बाद में नहीं करेगा।

8. भारतीय पक्ष विदेशी कम्पनी के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रमाणित प्रति वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने की मेजबान देश में प्रचलित वैधानिक अवधि समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे। वैधानिक अवधि मेजबान देश के स्वतन्त्र सनदी/सार्वजनिक लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। यदि इस तरह की कोई वैधानिक अवधि न हो तो यह रिपोर्ट संगत लेखा परीक्षा अवधि के समाप्त होने के छ: माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय पक्ष उक्त वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के साथ विदेशी कम्पनी से अपनी सभी हकदारियों और भारत को उनके प्रेषण का एक विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत करेगा।

9. भारतीय पक्ष को विदेशी कारोबार से रायल्टी तकनीकी शुल्क प्रबंधन शुल्क या अन्य प्रकार के भुगतान के रूप में जो भी रकम प्राप्त होनी है वह उनके देय होने की तारीख से छ: महीने के अन्दर मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत भेजेगा। भारतीय पक्ष को विदेशी कम्पनी से जो भी लाभांश/कर पश्चात लाभ प्राप्त होगा उसे वह विदेशी कम्पनी के निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा घोषित/अनुमोदित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के अन्दर मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत भेजेगा। ऊपर बताये गये प्रेषण भेजवान देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रेषण की स्वीकृति में लगने वाले समय के अध्यधीन होंगे।

इस पैरा में बतायी गई किसी हकदारी का प्रेषण यदि विदेशी कम्पनी के अगले वित्तीय वर्ष के अन्दर भी पूरा नहीं किया गया तो भारतीय पक्ष वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें विदेशी कम्पनी से प्राप्त होने वाली हकदारियों के नहीं भेजे जाने के कारणों का उल्लेख होगा।

10. जहां भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय राष्ट्रिक को विदेशी कम्पनी में निदेशक का पद स्वीकार करने की अनुमति दी गई है तो निदेशक का पद स्वीकार करने के पश्चात योग्यता शेयरों यदि कोई हो के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण किसी भी भारतीय राष्ट्रिक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना एक बार में 500 अमरीकी डालर तक बैंकिंग प्रणाली के जरिए किया जा सकता है।

11. यदि भारतीय पक्ष को किसी मामले में प्रस्तावित सीधे निवेश के लिए या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किये गये किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय पक्ष उपयुक्त प्राधिकारियों से ऐसा अनुमोदन प्राप्त करेगा।

12. विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों या पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में किया गया समस्त निवेश इन दिशा निर्देशों में विहित प्रावधानों के अध्यधीन होगा, चाहे वह इन दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 या 4.2 के अन्तर्गत अनुमोदित भी क्यों न हो। यदि कोई भारतीय पक्ष इन दिशा निर्देशों में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है या अनुमोदन पत्र में निहित किसी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है या केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, तो केन्द्र सरकार, इस बारे में प्रचलित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही किये बिना, भारतीय पक्ष को निश्चित समयावधि के भीतर अपनी शेयरधारिता वापस लेने या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को बन्द करने और सभी प्राप्त धनराशि तथा अन्य हकदारियों को भारत भेजने का निर्देश दे सकती है

जे एस. गिल संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1992

F. No. 4|11|91-EP(OI).—Guidelines for Indian direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad.

Government have revised the Guidelines for Indian direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad, which are hereby notified :

Guidelines for Indian Direct Investment in Joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad.

1.1 These guidelines shall apply to direct investment by Indian parties in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad (hereinafter referred to as "foreign concerns"). They apply to direct investment by Indian parties in newly promoted foreign concerns as well as to make initial or additional direct investment by Indian parties in existing foreign concerns.

1.2 The foreign concern in which the direct investment is proposed to be made may be engaged in industrial, commercial, trading or service activity or in hotel or tourism industry.

1.3 These guidelines do not apply to portfolio investment by Indian parties in foreign concerns. The guidelines do not also apply to direct investment in foreign concerns engaged in the financial sector such as banking, insurance, mutual funds, financial services and the like. Such cases would be considered on merits by the appropriate authority.

2. For the purposes of these guidelines,

(a) "direct investment" shall mean investment by an Indian party in the equity share capital of a fereign concern with a view to acquiring a long term interest in that concern. Besides the equity stake, such long term interest may be reflected through representation on the Board of Directors of the foreign concern and in the supply of technical know-how, capital goods, components, raw materials, etc. and managerial personnel to the foreign concern.

(b) "host country" shall mean the country in which the foreign concern receiving the direct investment is formed. registered or incorporated.

(c) "Indian party" shall mean a private or public limited company incorporated in accordance with the laws of India. When more than one Indian body corporate make a direct investment in a foreign concern, all the bodies corporate shall together constitute the "Indian party";

(d) "joint venture" shall mean a foreign concern formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment, whether such investment amounts to a majority or minority shareholding;

(e) "wholly owned subsidiary" shall mean a foreign concern formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country whose entire equity share capital is owned by an Indian party.

3. An application for direct investment in a foreign concern may be made by an Indian party in the prescribed form, supported by the prescribed documents, to the Ministry of Commerce (Overseas Investment Division), Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110001.

4.1 Category 'A'—Automatic Approval cases :

An application for direct investment in a foreign concern will be eligible for automatic approval within 30 days of the receipt of the application if either of the following two parameters is satisfied :

Parameter 1

The total value of the direct investment by the Indian party does not exceed US$ 2 (two) million of which the subscription in cash by the Indian party does not exceed US $500,000. The remainder of the direct investment may be contributed by the capitalisation in full or in part of—

(a) Indian made plant, machinery, equipment and components supplied to the foregn concern;

(b) the proceeds of goods exported by the Indian party to the foreign concern:

(c) fees, royalties, commissions or other entitlements from the foreign concern for the supply of technical know-how, con-

PARAMETER 2

In case the direct investment by the Indian party consists solely of cash subscription, the cash subscription does not exceed US doller 500,000.

4.1.1 This facility of automatic approval will be available to the Indian party in respect of the same foreign concern only once in a block of three financial years including the financial year in which the investment is made.

4.2 CATEGORY 'B'—OTHER CASES OR DIRECT INVESTMENT

All other cases of direct investment will be considered on merits by an Inter-Ministerial Committee in the Ministry of Commerce and a decision will be given within 90 days of the receipt of the application. Besides the sources of investment indicated in Category 'A' above, the direct investment under Category 'B' may include the following sources also :

(a) external borrowings subject to approval by the appropriate authorities;

(b) payment out of "blocked" funds. Blocked funds arise when receivables from exports to or returns from investments made in a host country are not transferred to an Indian party due to reasons beyond the control of the Indian party;

(c) any other source of investment that may be permitted by the Government of India.

4.3 In considering an application under Category 'B', the Inter-Ministerial Committee shall, inter alia, have due regard to the following :

(a) The financial position, standing and business track record of the Indian and foreign parties;

(b) Experience and track record of the Indian party in exports and its external orientation;

(c) Prima facie viability of the proposed investment.

(d) Quantum of the proposed investment and the size of the overseas venture in the context of the resources, net worth and scale of operations of the Indian party; and

(e) Benefits to the country in terms of foreign exchange earnings, two way trade generation, technology transfer, access to raw materials and intermediates not available in India, and the like.

4.4 Both under Categories 'A' and 'B' above, second hand or reconditioned indigenous machinery may be supplied by the Indian party towards its contribution to the direct investment in the foreign concern.

5. The direct investment shall conform to the laws and regulations of the host country. It is desirable to associate, to the extent possible, local parties, local development banks, and local financial institutions in a joint venture. Unless there are strong reasons to the contrary, the association of individuals as foreign promoters or partners is not encouraged.

6.1 In the case of a joint venture in which the Indian party has a minority equity shareholding, the Indian party shall report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India the details of the following decisions taken by the joint venture within 30 days of the approval of those decisions by the shareholders/promoters/Directors of the joint venture in terms of the local laws of the host country :

(i) Undertake any activity different from the activity originally approved by the Government of India for the direct investment;

(ii) Participate in the equity capital of another concern;

(iii) Promote a subsidiary or a wholly owned subsidiary as a second generation foreign concern;

(iv) Alter its share capital structure, authorised or issued, or its shareholding pattern.

6.2 In the case of a joint venture in which the Indian party has a majority equity shareholding or in the case of a wholly owned subsidiary, the Indian party may, without prior reference to the Government of India, consent to the following decisions being taken by the foreign concern :

(i) Undertake any activity different from the activity originally approved by the Government of India for direct investment;

(ii) Participate in the equity capital of another concern;

(iii) Promote a subsidiary or a wholly owned subsidiary as a second generation foreign concern;

(iv) Alter its share capital structure, authorised or issued, or its shareholding pattern.

Provided, the following conditions are fulfilled :

(a) the Indian party has repatriated all entitlements due to it from the foreign concern, including dividends, fees and royalties and this is duly certified by a Chartered Accountant;

(b) the Indian party has no overdues older than 180 days from the foreign concern in respect of its exports to the latter;

(c) the Indian party does not seek any fresh cash remittance from India; and

(d) the percentage of equity shareholding of the Indian party in the first generation joint venture or wholly owned subsidiary is not reduced, unless it is pursuant to the laws of the host country.

The Indian party shall report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India the details of the decisions taken by the joint venture or the

wholly owned subsidiary within 30 days of the approval of those decisions by the shareholders|promoters| Directors in terms of the local laws of the host country together with a statement on the fulfilment of the conditions mentioned above.

6.3 In the case of subscription by an Indian party to its entitlement of equity shares issued by a joint venture on Rights basis, or in the case of subscription by an Indian party to the issue of additional share capital by a joint venture or a wholly owned subsidiary, prior approval of the Government of India shall be taken for such subscription. Approval for such subscription may be given in accordance with paragraph 4.1 or 4.2 above, as the case may be.

7.1 In cases of setting up of trading joint ventures or wholly owned subsidiaries, the existing agency arrangements in the host country in respect of the activity|product|territory to be dealt with by the joint venture|wholly owned subsidiary shall be reviewed by the Indian party as soon as practicable.

7.2 No agency commission shall be payable to a joint venture|wholly owned subsidiary against the exports made by the Indian party towards its equity investment. Similarly, no agency commission shall be payable to a trading joint venture|wholly owned subsidiary if the Indian party makes an outright sale to it.

7.3 The Indian party making a direct investment in a joint venture or a wholly owned subsidiary shall not, except with the prior approval of the Government of India, give any guarantee or undertake any financial liability or commitment in respect of any loan, credit, etc. raised by the joint venture or the wholly owned subsidiary.

8. The Indian party shall furnish to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India an annual performance report in respect of the foreign concern, together with a certified copy of its Annual Report and audited annual accounts, within 30 days of the expiry of the statutory period for finalisation of audited annual accounts applicable in the host country. The statutory period should be certified by an independent Chartered|Public Accountant of the host country. In case there is no such statutory period, the report shall be submitted within six months of the close of the relevant accounting period. Together with the annual performance report, the Indian party shall also furnish a detailed statement of all the entitlements due to it from the foreign concern and their remittance to India.

9. The Indian party shall remit to India in free foreign exchange all entitlements due to it from a foreign concern by way of royalty, technical fees, management fees or any other type of payments within a period of 60 days from the date they become due. The Indian party shall remit to India in free foreign exchange dividends|profit after tax due to it from a foreign concern within a period of 60 days from the date they are declared|approved by the Directors|shareholders of the foreign concern. The remittances mentioned above shall be subject to the time taken for clearance of the remittances by the central bank of the host country. In case the remittance of any entitlement mentioned in this paragraph has not been completed even within the following financial year of the foreign concern, the Indian party shall furnish a special report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India explaining the reasons for non-remittance of the entitlements due to it from the foreign concern.

10. Where an Indian national is permitted by the Government of India to accept Directorship in a foreign concern, remittance of foreign exchange for acquisition of qualification shares, if any, pursuant to acceptance of a Directorship, may be effected by an Indian national through banking channels upto US dollar 500 in a single instance without reference to the Reserve Bank of India.

11. In any case where the Indian party requires approval under the Companies Act or any other law for the time being in force for the proposed direct investment, the Indian party shall obtain such approval from the appropriate authorities.

12. All direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad, whether approved under paragraph 4.1 or 4.2 of these guidelines, is subject to the provisions contained in these guidelines. If an Indian party violates any provision of these guidelines or fails to fulfil any of the conditions contained in the letter of approval, or if the Central Government is satisfied that it is in public interest to do so, the Central Government may, without prejudice to any action under any other law applicable to the case, direct the Indian party to disinvest its shareholding or wind up the wholly owned subsidiary and remit all proceeds and other entitlements to India within a stipulated period.

J. S. GILL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054, 1993